

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री राजेश

विपक्षी :- श्री सीमादेवी वगैरह

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 111/22

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/398

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 23.02.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 1246 पर दर्ज आराजी नम्बर 1402 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 1 को पाबंद कराना चाह रहा है परन्तु विपक्षी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। प्रकरण में दिनांक 22.09.2022 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p>	



—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्बत् 2077-80 की खाता संख्या 1246 पर दर्ज आराजी नम्बर 1402 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य एवं निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली